

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

A 423955

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

Sumer Digvijay
SBI-SA RD

असिचित कृषि भूमि का विक्रय पत्र

From 2011

असिचित कृषि भूमि का विक्रय पत्र रुपया 51,000/- एकलवन हजार रुपयों का
जिसका बाजार मूल्य रुपया 51,000/- एकलवन हजार रुपया है।

मध्यम बालझिरी प0ड0न0 11 ग्यारह

स्टाम्प डि.रु. 4080=00
प्रचायत डि.रु. 510=00

ग्राम पंचायत बालझिरी

उपकर रुपया 204=00
अधीक स्टाम्प 6=00

क्षेत्रपद पंचायत, विकास छाण्ड,
तहसील एवं उप पंजीयक कार्यालय
पानसेमल जिला बडवानी म.प्र.

योग रुपया 4800 = 00

स्थित कृषि भूमि का विक्रय पत्र।

भू. अधिकार एवं रण प्रस्तिका भाग। क्रमांक रुपया 512675

म.प्र. भू.रा.स. 1959 की धारा 165&62 के नियम कानून का उल्लंघन नहीं हो
रहा है।

विक्रेता रमेश चन्द्र पिता बालु सा वाणी जाति वाणी उम्र 51 वर्ष
धूधा कृषि व व्यापार निवासी निवाली तहसील निवाली जिला -

बडवानी मध्य प्रदेश

क्रेता रविन्द्र चौधरी पिता मोतीराम चौधरी जाति तेली उम्र 35 वर्ष
धूधा कृषि व व्यापार निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल
जिला बडवानी म.प्र.।

सही विक्रेता

सही क्रेता



DLR

GOVT. REGD. STAMP



MADHYA PRADESH

११२४४

A 423956

प्रतिफल का चुकता रुपया ५१,०००/- संक्षेप व्यापक में विक्रेता ने छठे
छठे क्रेता से पंजीयन के पूर्व नगद प्राप्त कर लिया है। बिक्री की भूमि का
कब्जा भी गवाहो के समझ दे दिया है। अब लेना ब तकी रहा नहीं है। मैं
विक्रेता, आप क्रेता के हक्क में यह असिचिंत कृषि भूमि का विक्रय पत्र लिछा
दे ता हूँ ऐसा कि-

ग्राम बालशिरी प०८०८० ॥ न्यारह तहसील पानसेमल स्थित भूमि -

छासरा नंबर रकबा एकड़- हैक्टर लगान

92/1	00-90	0-365	1-02
93/2	02-10	0-849	4-08
2	3-00	1-214	5-10

की भूमि राजस्व पत्रों में मेरे नाम से अंकित है मेरे स्वामित्व हक्क कब्जे का

दोकर आप क्रेता को निम्न मुजब भूमि बिक्री किया है -

छासरा नंबर र रकबा एकड़- हैक्टर लगान

92/1	0-90	0-365	1-02	असिचिंत भूमि सम्पूर्ण रकबा
------	------	-------	------	----------------------------

चर्तुःसीमा -

पूर्व मे- सडक है। पश्चिम मे- विक्रेता की शोष भूमि है।

उत्तर मे- नागो गोबरया का छोत है।

दक्षिणा मे- कृष्णा पिता केरव तेलों का छोत है।

बिक्री भूमि पर कोई वृक्ष, मकान टप्पर नहीं है। भूमि मेरी स्व अर्जित है।

जिस पर किसी अन्य का कोई हक्क अधिकार रहा नहीं है। बिक्री की भूमि
का मे एक मात्र मालीक, स्वामी हूँ जिस पर किसी अन्य का कोई हक्क अधिकार
रहा नहीं है।

सही विक्रेता सही क्रेता -

३४

Rachana

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

देश MADHYA PRADESH

₹.1000

A 423957

बिंचों को जा रही कृषि भूमि कहि पर अन्तरित नहीं की गई है। कहि पर भी रहन, बिंचों नहीं है। जमानत में नहीं है। हर तरह से पाक व साफ है। म. प्र. कृषि वातों की अधिकत्तम सीमा अधिनियम 1960 या म.प्र. भू.रा. स. 1959 को धारा 165-66 के नियम कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। विक्रये को जा रही कृषि भूमि किसी भी दैव स्थान भूदान यज्ञ, शासकिय पट्टे की नहीं है।

म.प्र. भू.रा.स. 1959 को धारा 109-110 के तहत आपने नामान्तरण करवा लेना जिसमें कथन कार्य वाही की ज़रूरत होने पर स्वर्य उपस्थित रहगा।

मैने निजी आवश्यकता के लिये भूमि बिंचों किया है। बिंचों को भूमि पर अब मेरा कोई हक्क अधिकार रहा नहीं है। आज सेक्रेता को इस लेछा चारा क्र्य को सम्पादित पर समस्त हक्क अधिकार प्राप्त है जिसका उपयोग व उपभीग क्रेता वंश परम्परा तक करने का हकदार है। जिसमें किसी को किसी भी प्रकार क्रेता वंश परम्परा तक करने का हकदार है। जिसमें किसी को किसी भी प्रकार क्रेता वंश वारस उत्तराधिकारी सम्पुदेशी प्रतिनिधि आपत्ति नहीं है यदि भविष्य में मेरे वारस उत्तराधिकारी सम्पुदेशी प्रतिनिधि कोई दावा आपत्ति करेंगे तो वह शुन्यवत् माना जावेगा।

क्रेता वंश क्र्य को भूमि का कोई अंश किसी भी त्रौप से छुट्टा जाता है तो उक्रेता वंश क्र्य को यह अधिकार है कि वह हज़ारा राशी कार्यवाही करने का हकदार है।

कृषि योग्य भूमि कृषि प्रयोजन हेतु की गई है।


सही क्रेता

सही क्रेता

₹.400

(Signature)

28/11/2025 वार्षी



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 423958

₹ ४००

लिहाजा यह बिक्री पत्र मेने होशो हवास में बिना किसी भी दबाव के लिखाया है, जो कहाँ वही लिखा पाया तब ही समझ कर गवाहो के समझ हस्ताक्षर किये जो की वक्त जल्लरत के काम आवे। इति

गवाह- दिनांक ३१/०३/२००७

सही विक्रेता मनोहर चौधरी

1- Arvind ---
अविनाश पिता दादा भाई

रमेशचन्द्र पिता बालु सा वाणी

राजपत नि. जलगान

नि. निवाली

2- Mohd ---

सही क्रेता

रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी पानेपमल

मनोहर मोतीराम चौधरी
पानेपमल म. प्र.।

500RS.



११ ११

सलग्न पुरत्वणी स्टाम्प है -

विक्रेता - रमेशचन्द्र पिता बातु सा वाणी निवासी क्षाली

क्रेता - रविंद्र पिता मौतीराम चौधरी निवासी पानसेमल

दिनांक 31/3/2007

सही विक्रेता शशि लोकार्थी
सही क्रेता - शशि लोकार्थी

न्यायालय/कलेक्टर, जिला-बड़वानी (मोप०)



राजस्व प्र.क्र.23/अ-21/06-07

रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी
निवासी निवाली तहसील निवाली जिला बड़वानी प्रार्थी विकेता
विरुद्ध

रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी,
निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल जिला बड़वानी केता

:: आदेश ::
(पारित दिनांक 15.05.2007)

प्रार्थी विकेता रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी निवासी निवाली के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, जिसमें उसके नाम से ग्राम बालझीरी प.ह.नं.11 में स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि जो कि औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित होकर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-165 (6) के तहत क्रेता रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी निवासी पानसेमल को विक्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2- प्रकरण में बिंदुवार जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार पानसेमल को भेजा गया, उनके द्वारा प्रकरण में विज्ञप्ति का विधिवत प्रकाशन करवाते हुए, बिंदुवार जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सेंधवा के माध्यम से अनुशंसा सह प्रेषित किया गया। तहसीलदार पानसेमल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि का ले आउट उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 470/डाय/नग्रानि/07/360/दिनांक 06.03.07 द्वारा अनुमोदित है, जिसकी प्रति प्रकरण में संलग्न है।
2. प्रस्तावित भूमि के विक्य से प्राप्त राशि का उपयोग व्यापार को बढ़ाने हेतु करना बताया है।
3. प्रश्नाधीन भूमि के डायवर्सन आदेश के प्रकरण क्रमांक 41/अ-2/06-07 पारित आदेश दिनांक 08.03.07 से उक्त भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन अनुज्ञा आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है।
4. उक्त संव्यवहार से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना बताया है।
5. प्रस्तावित भूमि के खाता एवं खसरा नकल, चालू वर्ष की एवं 02.10.1959 की प्रकरण में संलग्न करते हुये प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि को विक्य किये जाने में संहिता की धारा 165 (ड.ड.) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. भूमि के संबंध में निर्धारित व्यपवर्तन राशि जमा करने संबंधी रसीद संलग्न करते हुये कोई राशि बकाया नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. ग्राम पंचायत का बकाया संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05.03.07 प्रकरण में संलग्न है।
8. प्रार्थी विकेता एवं केता के कथन लिये जाकर प्रकरण में संलग्न है।
9. प्रार्थी केता एवं विकेता एवं केता के मध्य किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं होकर साहुकारा नहीं होना प्रतिवेदित है।



- प्रार्थी विकेता किसी दबाव के कारण भूमि विकय नहीं कर रहे हैं, प्रतिवेदित है।
- भूमि अन्तरण के पश्चात् उद्योग प्रयोजन हेतु उपयोग में लेना प्रतिवेदित किया है।
- विकय की जाने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी राजस्व/दीवानी मामले में लंबित नहीं होना प्रतिवेदित है।
- भूमि किसी प्रकार से अंतरितशुदा/गिरवी नहीं होना प्रतिवेदित है।
- तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का स्थल निरीक्षण करते हुये प्रतिवेदित किया है कि मौके पर भूमि रिक्त होकर प्रार्थी का कब्जा है।
- बिकी मूल्य के संबंध में उप पंजीयक पानसेमल से प्रचलित गाईड लाईन अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तदनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अदा करने की शर्त पर विकय किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- केता अधिसूचित क्षेत्र का निवासी है।
- उक्त अंतरण के संबंध में अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना प्रतिवेदित है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा के द्वारा उपरोक्तानुसार बिंदुवार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी निवासी निवाली को ग्राम बालझीरी प.ह.नं.11 में स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि विकय किये जाने की अनुमति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होकर अनुशंसा सह प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में ग्राम बालझीरी, टाकली फल्या तहसील पानसेमल के ग्राम वासियों द्वारा इस आशय का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि आवेदित भूमि पर रासायनिक खाद निर्माण हेतु इण्डस्ट्रीज निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आस-पास की उपजाऊ भूमि एवं ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। अतः इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायें।

ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा से वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। संबंध में प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में संबंधित आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई करते हुए उनके कथन अंकित किये गये हैं और आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई एवं कथनों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि पर फैक्ट्री निर्माण से क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और कृषि भूमि आदि को किसी प्रकार का कोई नुकसान आदि नहीं पहुँचेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग स्थापना हेतु जारी अनुमति पत्र क्रमांक 2987 दिनांक 04.05.2007 संलग्न करते हुए प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करने की अनुशंसा कर आवेदित भूमि सर्वे नं. 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि को संहिता की धारा 165(6) के तहत विकय करने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति उपरोक्त आधार पर निरस्त की जाती है।

अतः प्रकरण में संलग्न रेकार्ड व तहसीलदार पानसेमल एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेंधवा की अनुशंसा के आधार पर ग्राम बालझीरी प.ह.नं.11 में स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि को प्रचलित गाईड लाईन अनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अदा करने की शर्त पर केता रविन्द्र पिता मोतीराम

- निवासी पानसेमल को म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के प्रावधानों के नुस्खे सशर्त विक्रय की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-
 यह अनुमति सीमित रूप से केवल म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जा रही है। यह आदेश स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद या प्रश्न के लिये निर्णायक नहीं माना जायेगा।
2. व्यपवर्तन प्रकरण क्रमांक 41/अ-2/06-07 पारित आदेश दिनांक 08.03.07 में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
 3. भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की गई है।
 4. ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावें, जिससे सार्वजनिक बाधा उत्पन्न हो एवं क्षेत्र के रहवासियों के स्वारक्ष्य पर विपरित प्रभाव पड़े।
 5. समय-समय पर नियमों में आवश्यक परिवर्तन होने पर तत्समय प्रचलित नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 6. भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि करने के पूर्व नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना होगी तथा नगर एवं ग्राम निवेश खण्डवा के अनापत्ति प्रमाण पत्र 360-डाय/नग्रानि/07/358 दिनांक 06.03.07 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
 7. भूमि किसी भी प्रकार से हस्तांतरण एवं विक्रय से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 8. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्डौर द्वारा जारी अनुमति क्रमांक 2987/दिनांक 04.05.07 अनुसार एवं उसमें उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा किसी प्रकार को विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनुमति बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।

हस्तांतरण

(अरुण तिवारी)

कलेक्टर,

जिला-बड़वानी, म.प्र.
बड़वानी, दिनांक 17-05-2007



क्रमांक/880 /रीडर/2007

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा।
2. तहसीलदार, पानसेमल।
3. उप पंजीयक पानसेमल।
4. संबंधित विक्रेता रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी निवासी निवाली पालनार्थ संबंधित क्रेता रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी निवासी पानसेमल की ओर
5. पालनार्थ।

कलेक्टर,

जिला-बड़वानी, म.प्र.

325
18-5-07

269

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा, पिला बड़वानी म.प्र.

राजस्व प्रकरण क्रमांक २८ / ३-२ / २००७-०८

रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी,
निवासी पानसेमल, तहसील सेंधवा

आवेदक

-विरुद्ध-

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

—आ दे शा—
(दिनांक १२/०३/२००८ को पारित)

प्रकरण का संविष्ट विवरण इस प्रकार है कि —आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल के सर्वे नम्बर ९२/१ रकबा ०.९० एकड़ का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन की अनुज्ञा मिलने वाले द मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२ के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण संहिता की धारा १७२ के प्रावधानों के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक, भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि बड़वानी की ओर भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि बड़वानी द्वारा अपने अद्योतक भू-मापक, परिवर्तित भूमि से प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण कराया जाकर निरीक्षण टीप दिनांक १८.०२.२००८ प्रकरण में शामिल करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि—आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल के सर्वे नम्बर ९२/१ रकबा ०.९० एकड़ का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन अनुज्ञा हेतु आवेदक का प्रकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२(१) के अंतर्गत आता है। अतः आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकृत मानक दर रुपये ४.०० प्रति १०० वर्गफीट पर प्रतिवेदक क्षेत्रफल ३९,२०४ वर्गफीट पर संहिता की धारा ५९ (२) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण रुपये १५६८/- प्रति वर्ष ३९,२०४ वर्गफीट पर संहिता की धारा ५९ (५) के तहत रुपये १.५० प्रति वर्गमीटर भू-भाटक पुनर्निर्धारण किया जाने व संहिता की धारा ५९ (५) के तहत रुपये १.५० प्रति वर्गमीटर की दर से क्षेत्रफल ३६५० वर्गमीटर पर रुपये ५,४७५/- प्रिमीयम (प्रव्याजी) निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

-१-

3. प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भाग तथा पथ) संघवा एवं ग्राम पंचायत बालङ्गिरी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं, जो प्रकरण में शामिल है। उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा को इस कार्यालय के पत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र द्याहा गया है किन्तु आज दिनांक तक कोई में नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा को कोई अपत्ति नहीं है।

4. प्रश्नाधीन भूमि के मौके पर गढ़ खोदकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः इस प्रकरण में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(4) के प्रावधान लागू होगे।

5. अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि बड़वानी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक रविन्द्र पिला मोतीलाल चौधरी निवासी पानसेमल, तहसील पानसेमल के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालङ्गि में तहसील पानसेमल की सर्वे क्रमांक 92/1 रक्षा 0.90 एकड़ अर्थात् 39204 वर्गफीट का म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन अनुज्ञा निम्नांकित पुनर्निर्धारण एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

पुनर्निर्धारण:-

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(2) के अंतर्गत आवेदन रविन्द्र पिला मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल, 92/1 रक्षा 0.90 एकड़ ले स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालङ्गिरी तहसील पानसेमल के सर्वे नम्बर 92/1 रक्षा 0.90 एकड़ का औद्योगिक प्रयोजन, अर्थात् 1 वर्गफीट पर स्वीकृत मानक दर रुपये 4.0 प्रति 100 वर्गफीट के मान से पुनर्निर्धारण रुपये 1568/- प्रतिवर्ष भू-भाटक प्रतिवर्ष निर्धारण किया जाता है। जो वर्ष 2007-08 से देय होगी।

2. अधीक्षक, परिवर्तित भूमि बड़वानी के प्रतिवेदन अनुसार म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(5) के तहत रुपये 1.50 प्रति वर्गमीटर की दर से क्षेत्रफल 3,850 वर्गमीटर पर रुपये 5,475/- प्रिमीयम (प्रब्याजी) निर्धारण की जाती है।

Ramchandra

3. आवेदकगण द्वारा किसी अनुमति की निवारण करने से सहिता 1959 की धारा 172(4) के तहत रूपये 600/- अधिकारी को लगान की जाता है।

4. म.प्र. भू-राजस्य संहिता 1959 की धारा 185(6-3-3) का उल्लंघन होने से संहिता की धारा 172(6-क) के तहत शास्ति रूपये 1000/- अधिकारी की जाती है।

5. कृषि लगान रूपये 1.02 कम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदक घालु वर्ष 2007-08 का परिवर्तित लगान रूपये 1,568/- एवं प्रिमीयम रूपये 5,475/- एवं अर्थदण्ड रूपये 500/- शास्ति रूपये 1000/- इस प्रकार कुल रूपये 8,543/- एकमुश्त जमा करावें।

शर्तः—

1. प्रश्नाधीन भूमि पर विकास एवं निर्माण की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगी।

2. भूमि हस्तान्तरण (विक्रय), कलेक्टर की अनुमति के बरीर नहीं किया जायेगा।

3. समय-समय पर नियमों में परिवर्तन होने पर प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। एवं प्रव्याजी एवं पुनर्निर्धारण में बढ़ीत्री होती है तो उसे जमा करना होगा।

4. जिस प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन की अनुज्ञा दी गयी है, उसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग करना होगा।

5. कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि सार्वजनिक बोधा उत्पन्न हो।

6. यह अनुमति मात्र भूमि व्यपवर्तन यी है इसे निर्माण की अनुमति नहीं माना जावें।

7. भूमि के स्थानित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या गलत जानकारी पाई जाने पर यह आदेश स्वसेव निरस्त माना जायेगा।

8. उपरोक्त वर्णित शर्तें या किसी एक शर्त या शर्तों का उल्लंघन होने पर वह आदेश बिना पुर्व सूचना के निररत किया जा सकेगा।

(विष्णु कमलकर),
अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्थ)
संधवा, जिला बड़वानी, म.प्र.

क्रमांक / /C/2 / रीडर-1/ 2008

संधवा 12/03/2008


प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार पानसेमल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल, की ओर पालनार्थ प्रेषित।

(विष्णु कमलकर),
अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्थ)
संधवा, जिला बड़वानी, म.प्र.

M. Kamal Kar

out
in



E118
100-11-39197
E312

35 m
V.V.Z.

2094-2094
123/1211

To